रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 3, 2013/चैत्र 13, 1935

No. 94] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 3, 2013/CHAITRA 13, 1935

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2013

संख्याः 2/2(2)/2011–स्था/के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) विनियम 2007 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2013 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिशिष्ट–1 का संशोधन** (अन्यत्र सेवा निबधंनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर/अल्प अनुबंध द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के लिए शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा अर्हक सेवा)

(1) क्रम संख्या 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

क्रम सं.	पद	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	अनुभव का प्रकृति	अर्हक सेवा
5 (क)	प्रमुख/संयुक्त प्रमुख(विनियामक मामले)	प्रमुख : 18400–500–22400रु. (पूर्व–पुनरीक्षित) 37400–67000रु (पुनरीक्षित) प्लस 10000 रु. श्रेणी वेतनमान	वित्त में एमबीए या विधि/इंजीनियरिंग/विनियम मे स्नातकोत्तर	जिसके पास विनियामक आयोग से संबंधित नीति विषयक अनुभव हो, विद्युत क्षेत्र का ज्ञान और समझ हो, विशेषकर विनियामक सुधारों का अनुभव हो	**प्रमुख के पद के लिए अधिकारी :** (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो, या (ii) जिन्होंने 16400–20000रु. (पूर्व–पुनरीक्षित)(पुनरीक्षित वेतनमान पीबी-4 : 37400–67000 रु प्लस श्रेणी वेतनमान 8900 रु.) या समकक्ष पद मे 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो, या (iii) जिन्होंने 14300–18300 रु. (पूर्व–पुनरीक्षित)(पुनरीक्षित वेतनमान पीबी-4 : 37400–67000 रु प्लस श्रेणी वेतनमान 8700 रु.) या समकक्ष वेतनमान मे 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

1385GI/13

		संयुक्त प्रमुख: 14300–400–18300रु. (पूर्व–पुनरीक्षित) 37400–67000रु. प्लस 8700 रु श्रेणी वेतनमान (पुनरीक्षित)			संयुक्त प्रमुख के पद के लिए अधिकारी : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने 12000–16500 रु. (पूर्व–पुनरीक्षित) (पुनरीक्षित वेतनमान पीबी–3 : 15600– 39100 रु. प्लस श्रेणी वेतनमान 7600रु.) या समकक्ष पद में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने 10000–15200 रु. (पूर्व– पुनरीक्षित)(पुनरीक्षित वेतनमान पीबी–3 : 15600– 39100 रु. प्लस श्रेणी वेतनमान 6600 रु) या समकक्ष वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

(2) क्रम सं. 12 के स्तंभ 4 (न्यूनतम शैक्षिक अर्हता) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :
'वित्त में एमबीए या विधि/इंजीनियरिंग/विनियम में स्नातकोत्तर'
(3) क्रम सं. 13 के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा:

क्रम सं.	पद	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	अनुभव का प्रकृति	अर्हक सेवा
13 (क)	सहायक प्रमुख (विनियामक कार्य मामले)	10000–235–15200 रु. (पूर्व–पुनरीक्षित) 15600–39100 रु. (पुनरीक्षित) प्लस 6600रु.श्रेणी वेतनमान	वित्त में एमबीए या विधि/इंजीनियरिंग/विनियम में स्नातकोत्तर	जिसके पास विनियामक आयोग से संबंधित नीति विषयक अनुभव हो, विद्युत क्षेत्र का ज्ञान और समझ हो, विशेषकर विनियामक सुधारों का अनुभव हो	अधिकारी : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने 8000–13500रु.(पूर्व–पुनरीक्षित) (पुनरीक्षित वेतनमान पीबी–3: 15600–39100 रु. प्लस श्रेणी वेतनमान 5400 रु.) या समकक्ष पद में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने 7500–12000 रु. (पूर्व–पुनरीक्षित) और 7450–11500 (पूर्व–पुनरीक्षित) (पुनरीक्षित वेतनमान पीबी–2: 9300–34800 रु. प्लस श्रेणी वेतनमान 4800 रु) या समकक्ष पद में 5 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की हो; या (iV) जिन्होंने 6500–10500रु.(पूर्व पुनरीक्षित) (पुनरीक्षित वेतनमान पीबी–2 9300–34800रु. प्लस श्रेणी वेतनमान 4600 रु.) या समकक्ष वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/150/13]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–3, खण्ड–4, संख्या–156, तारीख 31 जुलाई, 2007 को प्रकाशित किए गए थे ।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2013

No.2/2(2)/2011-Estt./CERC- In exercise of powers conferred under section 178 read with section 91 of the Electricity Act, 2003, the Central Electricity Regulatory Commission with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:—

1. Short title and commencement:

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (First Amendment) Regulations, 2013.

(2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Appendix-I (Educational Qualification, Experience and Qualifying Service for staff on deputation on Foreign Service terms/short-term contract) of the Principal Regulations

(1) After S.No.5, the following shall be inserted

S. No.	Post	Scale of Pay	Minimum Educational Qualification	Nature of Experience	Qualifying Service
5(A)	Chief / Joint Chief (Regulatory Affairs)	Chief: Rs.18400-500-22400 (Pre-revised) revised to Rs.37400-67000 Plus Rs.10000/- Grade Pay Joint Chief: Rs.14300-400-18300 (Pre-revised) revised to Rs.37400-67000 Plus Rs.8700/- Grade Pay	MBA in Finance or Post Graduate in Law / Engineering/ Regulation	Having dealt with Policy matters relating to Regulatory Commission, thorough knowledge and understanding of the electricity sector, especially regulatory reforms	**For the Post of Chief :** Officer : (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) With 2 years regular service in the scale of Rs.16400-20000 (pre-revised)(Revised scale PB-4,.Rs.37400-67000 + GP Rs.8900) or equivalent; or equivalent; or (iii) With 3 years regular service in the scale of Rs.14300-18300 (Pre-revised) Revised scale PB-4,Rs.37400-67000 +GP Rs.8700) or equivalent. **For the Post of Joint Chief :** Officer : i) Holding analogous posts on regular basis; **or** ii) With 3 years regular service in the scale of Rs.12000-16500 (pre-revised) (Revised to PB-3 Rs.15600-39100 +GP-7600) **or** equivalent; **or.** (iii) With 8 years regular service in the scale of Rs.10000-15200 (Pre-revised) (Revised to PB-3 Rs.15600-39100 +GP-6600) **or** equivalent.

(2) In S.No.12, Col. No.4 (Minimum Educational Qualification), the following shall be substituted :

"MBA in Finance or Post Graduate in Law/Engineering/Regulation".

After S.No.13, the following shall be inserted :

S. NO.	Post	Scale of Pay	Minimum Educational Qualification	Nature of Experience	Qualifying Service
13 (A)	Assistant Chief (Regulatory Affairs)	Rs.10000-235-15200(Pre-revised) revised to Rs.15600-39100 Plus Rs.6600/- Grade Pay	MBA in Finance or Post Graduate in Law / Engineering/ Regulation	Having dealt with policy matters relating to Regulatory Commissions, thorough knowledge and understanding of the electricity sector, especially regulatory reforms.	Officers:- i) Holding analogous post on regular basis; or ii) With 4 years regular service in the scale of Rs. 8000-13500 (Pre-revised) (Revised scale PB-3. Rs.15600-39100 + GP Rs. 5400) or equivalent; or iii) With 5 years combined regular service in the scale of Rs. 7500-12000 (Pre-revised) and 7450-11500 (Pre-raised) (Revised Pay Band PB-2, Rs.9300-34800 + GP Rs. 4800) or equivalent; or iv) With 6 years regular service in the scale of Rs. 6500-10500 (Pre-revised) (Revised Pay Band PB-2 , Rs.9300-34800 + GP Rs.4600) or equivalent.

RAJIV BANSAL, Secy.
[ADVT III/4/Exty./150/13]

Note : Principal Regulations were published on 31st July, 2007 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No.156.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.